डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय,
संत रविदास नगर, भदोही

Dr. Shyama Prasad Mukherjee Government Degree College

Sant Ravidans Nagar, Bhadohi

College recognized under section 2 (f) & 12 (b) of UGC

सम्बन्ध : माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी , मीरजापुर

ADMISSION OPEN

SESSION 2026-2027

- Experienced Faculty
- Quality Education
- Personality Development
- Bright Future

Join Today, Lead Tomorrow

YOUR JOURNEY TO SUCCESS STARTS HERE!

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय–

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, भदोही, उत्तर प्रदेश शासन के सृजनात्मक उपक्रम का सकारात्मक प्रतिफल है। उच्च शिक्षा के जिस मानक एवं आदर्श केंद्र के रूप में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी, यह महाविद्यालय उसी गौरवशाली परंपरा का एक पड़ाव है। यह महाविद्यालय, काशी और प्रयाग के मध्य पावन गंगा के सानिध्य में अवस्थित सीता की तपोभूमि सीतामढ़ी एवं शिवस्थली सेमराध और विद्या वैभव से विभूषित ज्ञानपुर जैसे तीर्थ स्थलों के समीप, अपने कालीन उद्योग और कला के लिए विश्वविख्यात कालीन नगरी भदोही में, जनपद-भदोही के मुख्यालय ज्ञानपुर से 13 किलोमीटर तथा भदोही रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर बाईपास मार्ग पर रामरायपुर कस्बे में स्थित है। इस राजकीय महाविद्यालय की स्थापना महामहिम श्री राज्यपाल कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश की दिनांक 7 अक्टूबर 1999 कि राजाज्ञा संख्या-2373 के अधीन की गई। कुलाधिपति महोदय द्वारा राजकीय महाविद्यालय भदोही को कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, शारीरिक शिक्षा तथा विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित विषयों की वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अस्थाई संबद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई । साथ ही शासन के पत्रांक संख्या 2626 दिनांक 21/01/2000 के अधीन प्राचार्य, कला संकाय व विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रवक्ता पदों, पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन किया गया।

उत्तरोत्तर विकास करते हुए वर्तमान समय में यह महाविद्यालय माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय व मीरजापुर से संबद्ध व स्थायी मान्यता प्राप्त है । विज्ञान संकाय में 10 तथा कला संकाय में समाजशास्त्र के पी.जी. होने के कारण 09 प्रवक्ता पद सृजित हैं। वर्ष 2018 से कला वर्ग में शारीरिक शिक्षा विषय की मान्यता प्राप्त कर कुल 07 विषय संचालित हैं तथा सत्र 2021 से समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की कक्षाए संचालित हैं । महाविद्यालय अपने निजी भवन जिनमें प्रशासनिक भवन, कला संकाय भवन, विज्ञान संकाय भवन (प्रयोगशालाओं सहित), कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रूम स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु रूसा अनुदानित भवन एवं कम्प्यूटर सेंटर, ई–लाइब्रेरी, पुस्तकालय, खेलकूद मैदान आदि से समृद्ध है।

स्थायी मान्यता तथा उत्कृष्ट स्वकेन्द्रीय विश्वविद्यालयी सेमेस्टर परीक्षा परिणाम के साथ यह महाविद्यालय यूजीसी के 2–एफ व 12–बी की श्रेणी में सूचीबद्ध है। यह महाविद्यालय आंतरिक गुणवत्ता की दृष्टि से यूजीसी नैक के सभी मानदंडों को पूर्ण करने में सक्षम है ।विद्यार्थीयो के सर्वांगीण विकास के लिए उ.प्र. शासन द्वारा प्रायोजित कई अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है जिसके आधार पर उ.प्र. शासन, यूजीसी तथा रूसा द्वारा समय–समय

पर `अनेक अनुदान प्राप्त हो रहे हैं। महाविद्यालय में इण्टरनेट, वाई–फाई, वेबसाइट– www.spmgdcbhadohi.ac.in, ई–पुस्तकालय एवं स्वचालित पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। पूरा महाविद्यालय परिसर (कक्षाओं सहित) सी.सी.टी.वी. कैमरे से युक्त है। अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त स्मार्ट कक्षाएं तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित किये गये हैं। रोवर्स/रेंजर्स तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयां भी संचालित हैं। महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न ई–माध्यमों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। यह महाविद्यालय छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत, कृत संकल्प और अग्रसर है। कक्षा कार्य , प्रायोगिक कार्य , प्रोजेक्ट एवं असाइमेंट , गूगल क्लास रूम के माध्यम से भी आबंटित किये जाते है

प्रवेश आवेदन सूचना

स्नातक प्रवेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर भरने की तिथि 01 जून 2026 से 10 जुलाई 2026
- मेरिट लिस्ट का वेबसाइट पर प्रकाशन 11 जुलाई 2026.
- काउन्सलिंग की तिथि 12 जुलाई 2026 से प्रारम्भ

परास्नातक प्रवेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

जुलाई अन्तिम सप्ताह से प्रस्तावित। तिथियाँ अतिशीघ्र प्रकाशित की जायेंगी।

आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश :–

- सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरे जायेंगे ।
- आवेदन करने से पूर्व ई–मेल आई डी और उसका पासवर्ड बनाकर सुरक्षित रख ले और महाविद्यालय /विश्वविद्यालय एवं छात्रवृत्ती आदि में उसका प्रयोग करे ।
- एक स्थायी मोबाइल नंबर जिस पर व्हाट्सएप सन्देश एवं मैसेज भेजे जा सके ।
- ऑनलाइन आवेदन से पूर्व प्रवेश विवरणिका का भलीभांति अध्ययन कर लें ।

- आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.spmgdcbhadohi.ac.in पर 100/- पंजीकरण शुल्क जमा कर भरना होगा ।

- आवेदन करने से पूर्व एंटी रैगिंग शपथ वेबसाइट www-antiragging-in/affidavit_affiliated_form-php पर भरना होगा और शपथ पत्र जमा करने के बाद स्क्रीन पर त्मिप्क. दिखाई पड़ेगी द्य उसे नोट कर ले और प्रवेश आवेदन पत्र में भर दे द्य एंटी रैगिंग रिफरेन्स नंबर , ई–मेल और फोन नंबर के द्वारा एंटी रैगिंग वेबसाइट पर undertaking-Download कर स्वयं एवं माता –पिता अभिभावक का हस्ताक्षर करा कर आवेदन पत्र के साथ लगायेंगे ।

- एंटी रैगिंग फॉर्म भरते समय कॉलेज डायरेक्टर नाम में प्रो. माया और मोबाइल नंबर 6306322271 भरे ।
- प्रवेश आवेदन फॉर्म भरने के लिए सभी सम्बन्धित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अपार और फॅमिली आई.डी, आरक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ई–मेल आई.डी, फोटो एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी ।
- प्रवेश के समय आप द्वारा ई–मेल आई.डी और मोबाइल नंबर का प्रयोग / छात्रवृत्ति / परीक्षा फॉर्म व अन्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय कार्य के लिए करे । उपरोक्त में बदलाव की सुचना तुरन्त कार्यालय को दे ।

- सभी संलग्नकों जैसे हाई स्कूलं, इन्टर–मीडिएट एवं स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, अपार और फॅमिली आई.डी, आदि की स्कैन्ड कॉपी अवश्य संलग्न करें ।

- प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अतः वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।

- अर्ह अभ्यर्थियों को कांउसलिंग के लिए बुलाया जायेगा जिसकी सूचना वेबसाइट पर दी जायेगी ।

- कांउसलिंग हेतु बुलाये गए अर्ह(योग्य) अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तथा समस्त संलग्नको की स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं मूल प्रति के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा ।

- प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा होगा।

- शुल्क जमा की आनलाईन प्राप्ति रसीद महाविद्यालय के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी ।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नको की स्वप्रमाणित छाया प्रति अवश्य जमा करें-

- हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
- इन्टर मीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
- स्नातक प्रथम , द्रितीय एवं तृतीय वर्ष की अंक पत्र (एम.ए में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी)
- जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण सम्बन्धी दावें का प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- अधिभार सम्बन्धी प्रमाण पत्र (स्काउट गाइड, खेल कूद, उच्च शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी के पाल्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित)
- आधार कार्ड
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र - (मूल प्रति)
- चरित्र प्रमाण पत्र- (मूल प्रति)
- निवास प्रमाण पत्र- ((छाया प्रति)
- अपार आई.डी
- फॅमिली आई.डी
- एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र

भारांको की श्रेणी व अंक–(स्नातक हेतु)

1. राष्ट्रीय स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को

   प्रथम स्थान आने पर –15 अंक
   द्वितीय स्थान आने पर –10 अंक
   तृतीय स्थान आने पर –05 अंक

2. राज्य स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को

   प्रथम स्थान आने पर –10 अंक
   द्वितीय स्थान आने पर –07 अंक
   तृतीय स्थान आने पर –05 अंक

3. जिला/मण्डल स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को

प्रथम स्थान आने पर –10 अंक
द्वितीय स्थान आने पर –07 अंक
तृतीय स्थान आने पर –05 अंक

4. NCC में सी प्रमाण पत्र –15 अंक
NCC में बी प्रमाण पत्र –10 अंक

5. स्काउट गाइड का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी –15 अंक
स्काउट गाइड का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी –10 अंक
स्काउट गाइड का गुरूपद/ध्रुवपद प्राप्त अभ्यर्थी –05 अंक

भारंको की श्रेणी व अंक (परास्नातक हेतु)

(अ) एन0सी0सी0

- 'बी' सर्टिफिकेट 05 अंक
- 'सी' सर्टिफिकेट 10 अंक
- आर. डी. परेड 15 अंक

(ब) एन0एस0एस (राष्ट्रीय सेवा योजना)

- दो वर्ष की सदस्यता, एक विशेष 7 दिवसीय शिविर 10 अंक

(स) रोवर्स/रेंजर्स (स्काउड/गाईड)

- प्रवीण प्रमाण पत्र 03 अंक
- निपुण प्रमाण–पत्र 05 अंक
- राज्यपाल पुरस्कार 07 अंक
- राष्ट्रपति पुरस्कार 10 अंक

(द) 1. राष्ट्रीय स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को

- प्रथम स्थान आने पर –15 अंक
- द्वितीय स्थान आने पर –10 अंक
- तृतीय स्थान आने पर –05 अंक

2. राज्य स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को

- प्रथम स्थान आने पर –10 अंक
- द्वितीय स्थान आने पर –07 अंक

- तृतीय स्थान आने पर –05 अंक

3. विश्वविद्यालय स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को
   - प्रथम स्थान आने पर –07 अंक
   - द्वितीय स्थान आने पर –05 अंक
   - तृतीय स्थान आने पर –03 अंक

नोट–

1. किसी भी दशा में 20 से अधिक भारांक देय नही होगा।
2. एक ही श्रेणी में दो भारांक देय नहीं होगा।
3. काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में भारांक सम्बन्धी दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम– (स्नातक प्रवेश हेतु)

1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर स्तर पर प्रवेश आनलाईन द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु आवेदन महाविद्यालय की वेवसाईट www.spmgdcbhadohi.org.in पर प्रदत्त लिंक द्वारा किया जा सकेगा।

2. अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु सर्वप्रथम एक संकाय (कला, समाज विज्ञान व मानविकी तथा विज्ञान संकाय) का चयन करना होगा।

3. अभ्यर्थी द्वारा चयनित संकाय अभ्यर्थी का अपना संकाय होगा तथा अपने संकाय से दो मुख्य विषयों का चयन करना होगा।

4. तीसरे विषय के रूप मे गौण विषय का चुनाव अभ्यर्थी को किसी अन्य संकाय से करना होगा ?

5. दो मुख्य विषय तथा माइनर इलेक्टिव प्रश्न पत्र का चयन अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि माइनर इलेक्टिव अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो ?

6. स्नातक में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को तृतीय समेस्टर तक एक कौशल विकास/व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रत्येक छात्र को तीन वर्षों (6 सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक को–करिकुलर का चयन करना होगा।

8. इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए 2024 से पूर्व उत्तीर्ण अभ्यर्थी का प्रवेश संभव नहीं होगा ।

9. अन्तराल वाले अभ्यर्थी को अन्तराल अवधि का नोटरी द्वारा शपथ पत्र देना होगा कि अन्तराल की अवधि में अन्यत्र अध्ययनरत नहीं था।

10. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को अनुपलब्धता पर स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश पर विचार करना संभव हो सकेगा ।

11. इस महाविद्यालय / अन्य राजकीय महाविद्यालय / उच्च शिक्षा निदेशालय / क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के पाल्य को विभागीय नियमों के अनुसार वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

12. उ०प्र० स्टेट यू० पी० एक्ट 1973 की अनु. 8 धारा45 के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र/छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है ।

13. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 69 के अनुसार किसी भी न्यायालय में प्रवेश सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं हैं ।

14. यह एक राजकीय महाविद्यालय है, जो शासन के आदेशों, नियमों एवं अध्यादेशों से संचालित होता है । इन नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार की छूट प्रवेशार्थी को नहीं दी जा सकती है ।

15. आरक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप होगा । जो कि वर्तमान में 40% सामान्य, 27% ओ.बी.सी., 21% एस.सी., 2% एस.टी. तथा 10% ई.डब्लू.एस. है ।

16. बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इन्टरमीडिएट में 40% तथा बी.एस.सी. में 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । (अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में 5% की छूट दी जायेगी)

17. अभ्यर्थी सोच विचार कर विषयों का चयन करें / प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

18. विज्ञान वर्ग के छात्रों को कला वर्ग में सीटें रिक्त रहने पर प्रवेश समिति के निर्णयानुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

19. कांउसलिंग के समय प्रवेशार्थी का भौतिक रूप से समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना आनिवार्य है । अन्यथा प्रवेश सम्बन्धी दावा निरस्त कर दिया जायेगा ।

20. कांउसलिंग के समय प्रवेशार्थी को स्थानान्तरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

21. शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किये जाने पर प्रवेश समिति भी प्रवेश सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन कर सकती है।

22. महाविद्यालय परिसर में काउंसिलिंग के लिए बुलाए जाने पर अनावश्यक रुप से इधर–उधर घूमना और भीड़ लगाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

23. एक वर्ष अन्तराल (गैप) वाले छात्र/छात्राओं को उनके इण्टरमीडिएट में प्राप्त कुल अंको में से 5 तथा दो वर्ष के अन्तराल में 10 अंक काटकर मेरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम– (परास्नातक प्रवेश हेतु)

- स्नातकोत्तर समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर स्तर पर प्रवेश आनलाईन द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु आवेदन महाविद्यालय की वेवसाईट www.spmgdcbhadohi.ac.in पर प्रदत्त लिंक द्वारा किया जा सकेगा।

- आवेदन प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने की समय–सारणी महाविद्यालय सूचना पट्ट, महाविद्यालय की बेवसाइट तथा सामाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया सामान्यतया इस सत्र से आरम्भ होगी।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की उपलब्धता माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय मीरजापुर की नियमावली तथा समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर तय की जायेगी।
- शासन द्वारा विभिन्न आरक्षित वर्गो यथा, अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अन्य के लिये किये गये प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

- बी0ए0 परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत होगा।

- स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्नातक अन्तिम वर्ष मे समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे।

- स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कोई भी अभ्यर्थी समाजशास्त्र विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

- किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दो वर्ष से अधिक शैक्षणिक अंतराल वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। 2024 के पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे

- स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

- मेरिट लिस्ट, अर्हता प्रदायिनी परीक्षा एवं समाजशास्त्र विषय में प्राप्त ''प्रतिशत'' एवं ''अधिभार'' अंकों के योग के आधार पर तैयार की गयी 'इण्डेक्स' के आधार पर तैयार की जायेगी।

- इस महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु 10 अंक अधिभार दिये जायेगे।

- किसी पाठ्यक्रम में दो वर्ष से अधिक शैक्षणिक अन्तराल वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। एक वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थियों की इण्डेक्स की गणना करते समय अर्हता प्रदायिनी परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत से 05 अंक की कटौती की जायेगी जबकि दो वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थियों की इण्डेक्स की गणना करते समय अर्हता प्रदायिनी परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत से 10 अंक की कटौती की जायेगी। शैक्षणिक अन्तराल वाले अभ्यर्थियों को नोटरी शपथ–पत्र काउन्सलिंग के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

- किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इस महाविद्यालय/अन्य राजकीय महाविद्यालय/उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी, सगे भाई/सगी बहन को 10 अंक का अधिभार प्रदान किया जाएगा।

- दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश में शासनानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

- सीट के सापेक्ष निम्न आवेदन प्राप्त होने की दशा में सभी अर्ह–अभ्यर्थियों को पहले आओ पहले पाओ नीति के अंतगर्त काउंसलिंग हेतु चरण बद्धसे बुलाया जायेगा।

- उपरोक्त के बावजूद सीट रिक्त होने की दशा में छात्र हित में आवेदन हेतु नए तिथि की घोषणा एवं काउंसलिंग के सम्बंध में निर्णय प्राचार्य के विवेकाधीन होगा।
- समय–समय पर घोषित की जाने वाली वरीयता सूचियों संबंधी सूचना, सूचना पट्ट, वेबसाईट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी तथा मेरिट में स्थान पाये अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा।

- मेरिट लिस्ट में साक्षात्कार (काउन्सिलिंग) हेतु चयनित अभ्यर्थियों को दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, समस्त मूल साक्ष्यों यथा समस्त अंक पत्रों प्रमाण पत्रों, चरित्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों तथा आरक्षण श्रेणी/अधिभार सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं उनकी छाया प्रतियों के साथ निर्धारित समयावधि में ही प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत न होने पर पुनः प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा। इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत करना होगा।

- व्यक्तिगत रुप से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिये किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो विगत छः माह की अवधि के अन्दर जारी किया गया हो) को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को उस विद्यालय/महाविद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा, जहॉ उसने अंतिम बार संस्थागत रुप से अध्ययन किया हो।

- अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय नामांकन के समय अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) मूल रुप में जमा करना होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क जमा न किये जाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

- अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

- ऐसे अभ्यर्थियों को जो किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा अनुशासनहीनता/अनुचित साधन प्रयोग के लिये दण्डित किये गये हो, प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- जिस अभ्यर्थी पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो/दण्डित किया गया हो, को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा पता चलने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

- प्राचार्य को किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

- उ0प्र0 स्टेट यूनी0 एक्ट 1973 के अनु0 8बी0 धारा 45, उपधारा (4) के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र/छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।

प्रवेश हेतु अनर्ह (अयोग्य) होंगे यदि–

1. इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल है ।

2. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थियों को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा ।

3. संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

4. जिन छात्रों पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अंतर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो या दण्ड प्राप्त हुआ हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

5. अपूर्ण आवेदन पत्र, गलत सूचना देने या तथ्य छिपाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

6. अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर प्रवेश सम्बन्धी दावा निरस्त कर दिया जायेगा ।

पाठ्य विषय

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर स्तर पर द्विवर्षीय पाठ्य क्रम के अन्तर्गत निम्न लिखित विषयों की व्यवस्था है –

भाषा संकाय (बी.ए.)

1–हिंदी साहित्य, 2–अंग्रेजी साहित्य, 3–संस्कृत साहित्य,

कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय (बी.ए.)

1–भूगोल, 2–समाजशास्त्र, 3–इतिहास (मध्यकाल एवं आधुनिक काल), 4–शारीरिक शिक्षा

एम.ए.

1–समाजशास्त्र,

विज्ञान संकाय (बी.एस–सी.)

अ) गणित वर्ग –	1–भौतिक विज्ञान, 2–गणित, 3–रसायन विज्ञान
ब) जीव विज्ञान वर्ग –	1–जन्तु विज्ञान, 2–वनस्पति विज्ञान, 3–रसायन विज्ञान

प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटें

बी.ए. –	420 सीटें
बी.एस–सी. गणित वर्ग –	120 सीटें
बी.एस–सी. जीव विज्ञान वर्ग –	120 सीटें
(एम.ए.)–समाजशास्त्र –	60 सीटें

छात्रों के लिए विशेष निर्देश :

1. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में ही परिसर में प्रवेश करें ।
2. प्रत्येक छात्र प्रतिदिन अपना परिचय पत्र साथ लायेगा तथा शास्ता मंडल द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा ।
3. विद्यार्थी अपने साइकिल को स्टैंड में खड़ा करें । मोटर साइकिल या स्कूटर से आने वाले छात्र/छात्रा ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाये तथा हेलमेट का प्रयोग करें ।
4. सह पाठियों से अशिष्ट व्यवहार एवं अनुचित व्यवहार तथा रैगिंग में लिप्त पायें जाने वाले आरोपित विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा विधिक कार्यवाही की जाएगी ।
5. महाविद्यालय की शांति भंग करना, धुम्रपान करना, नशीलें पदार्थों का सेवन, पान मसाला खाना, शोर मचाना, अस्त्र–शस्त्र लाना, आदि पूर्णतया वर्जित है ।
6. महाविद्यालय परिसर में गन्दगी फैलाना, भवन एवं दीवारों को गन्दा करना और महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
7. महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध माना जायेगा जिसमे निष्कासन भी सम्मिलित है ।
8. कोई भी छात्र/छात्रा प्रवेश लेने मात्र से परीक्षा देने का अधिकारी नहीं हो जायेगा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षा आवेदन पत्र पूरित कर महाविद्यालय में जमा करने के उपरान्त ही छात्र परीक्षा दे सकेगा।
9. यदि प्रत्येक कक्षा में छात्र की उपस्थिति 75% से कम रहती है तो वह परीक्षा देने से वंचित रह जायेगा।
10. महाविद्यालय में नकल विहीन परीक्षा होती है।
11. महाविद्यालय में होने वाले पाठ्येत्तर कार्यक्रमों जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गाँधी जयंती, वार्षिकोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में उपस्थिति अनिवार्य है ।

शुल्क विवरण

बी.ए. प्रथम वर्ष

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	–	3058
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	–	2956
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	–	3318
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	–	3186
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	–	3578
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	–	3446

बी.ए. द्वितीय वर्ष

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	–	2928
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	–	2796
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	–	3168
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	–	3036
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	–	3408
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	–	3276

बी.ए. तृतीय वर्ष

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	–	2933
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	–	2801
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	–	3173
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	–	3041
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	–	3413
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	–	3281

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष

गणित वर्ग

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	–	4758
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	–	4626

जीव विज्ञान वर्ग

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	–	5018
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	–	4886

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष

गणित वर्ग

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	–	4488
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	–	4356

जीव विज्ञान वर्ग

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	–	4728
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	–	4596

बी.एस.सी. तृतीय वर्ष

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	–	2753
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	–	2621
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	–	2993
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	–	2861

एम०ए० समाजशास्त्र प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर)

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	– 3656
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	– 3476

एम०ए० समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर)

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	– 3561
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	– 3381

शुल्क सम्बन्धी अन्य नियम

1. महाविद्यालय में जमा किया हुआ शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा ।
2. महाविद्यालय में शुल्क एक बार में ही जमा किया जायेगा ।
3. शुल्क रसीद परिचय पत्र प्राप्त करने, परीक्षा एवं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत करना होगा ।
4. महाविद्यालय सम्पत्ति को क्षति पहुचाने पर भरपाई छात्र/छात्रा के काशन मनी से की जाएगी ।
5. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष से तीन वर्ष के अन्दर काशन मनी प्राप्त कर लें अन्यथा की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा ।
6. शासन अथवा विश्वविद्यालय के आदेशानुसार शुल्क वृद्धि की जा सकती है जिसकी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी

महाविद्यालय की शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियां–

- यूनिफार्म कोड –महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु परिधान निर्धारित है। छात्रों के लिए सफेद शर्ट व नीली पैन्ट तथा छात्राओं हेतु सफेद सलवार और गुलाबी कमीज व सफेद दुपट्टा निर्धारित है।

- छात्रवृत्ति –उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्प-संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात www.scholarship.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा । तथा प्रिंट आउट समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति के साथ जमा करना होगा ।

  छात्रवृत्ति केवल उसी छात्र–छात्रा को देय होगी जिसकी उपस्थिति 75% से अधिक होगी ।

  - पुस्तकालय –विद्यार्थियों के अध्ययन को सुचारू एवं अबाध गति से चलते रहने के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त करने की व्यवस्था है । पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में खुला रहता है । पुस्तकालय पूर्ण रूप से आटोमेटेड है।

- **क्रीड़ा परिषद**–जीवन में क्रीड़ा के महत्व को स्वीकार करते हुए महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया है, जो सत्र पर्यन्त क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न कराती है। वर्ष में एक बार वृहद क्रीड़ा समारोह का आयोजन भी होता है।

- **रोवर्स एवं रेंजर्स दल**–रोवर्स एवं रेंजर्स दल का उद्देश्य छात्र/छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करके उनमें परस्पर प्रेम, सहयोग, भातृत्व, अनुशासन तथा नेतृत्व की भावना भरकर सेवा कार्य के लिए प्रेरित करना है। रोवर्स 24–24 एवं रेंजर्स दल में 24 सदस्य होंगे जो वर्ष पर्यन्त विभिन्न गति विधियों में संलग्न रहते हैं।

  रोवर्स प्रभारी डॉ अनिश कुमार मिश्र एवं रेंजर्स प्रभारी डॉ ऋत्विक रंजन सिंह हैं।

- **राष्ट्रीय सेवा योजना**–राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से स्नातक स्तरीय युवा छात्र/छात्राओं की श्रम साधना, शक्ति एवं सृजनात्मक प्रतिभा को समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा के प्रति जाग्रत किये जाने का विधान है।इस योजना के अर्न्तगत श्रमदान, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, मतदाता जागरुकता, नशा उन्मूलन एवं अन्य समाज सेवा सम्बन्धी कार्यों के सामान्य शिविर के अतिरिक्त सात दिवसीय दिन–रात का विशेष शिविर भी आयोजित होता है।

  राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई प्रथम के कार्यक्रम अधिकारी डॉ अंकिता तिवारी और राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई द्वितीय के कार्यक्रम अधिकारी डॉ रुस्तम अली हैं।

  महाविद्यालय में राष्ट्रिय सेवा योजना की दो इकाईया संचालित है जिसमे प्रत्येक इकाई में 100 सीट उपलबद्ध है द्य इसमे प्रवेश हेतु सूचना अलग से दी जाती है ।

- **महाविद्यालय पत्रिका प्रबोधनी**–महाविद्यालय प्रतिवर्ष प्रबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करता है जिसका मूल उद्देश्य छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित एवं परिष्कृत करना होता है।प्रधान सम्पादक पत्रिका में प्रकाशनार्थ सामग्री, कहानी, कविता, लेख, एवं निबन्ध इत्यादि छात्र/छात्राओं से आमंत्रित करते हैं। वर्तमान में डॉ अंकिता तिवारी संस्कृत विभाग प्रधान सम्पादक के रूप में कार्यरत है ।

- **करियर काउंसिलिंग केन्द्र**–इसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम एवं रोजगार संबंधी सलाह एवं दिशा–निर्देश दिये जाते हैं तथा रोजगार की अद्यतन स्थितियों से अवगत कराते हुए सक्रिय रहने के लिए सुझाव व प्रेरणा दी जाती है। वर्तमान में इसके प्रभारी डॉ अमर कृष्ण यादव इतिहास विभाग है ।

- **विभागीय परिषद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ**–महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की रचनात्मक ऊर्जा एवं प्रतिभा को सार्थक कार्यों में प्रवृत्त करने और उनकी गुणवत्ता को आलोक में लाने हेतु सभी विभागों द्वारा विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है जिसके अर्न्तगत वाद–विवाद, भाषण, प्रश्नोत्तरी एवं निबन्ध लेखन विषयक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। महाविद्यालय में प्रसार व्याख्यान माला, विभागीय सेमिनार, नाट्य मंचन एवं गायन प्रतियोगिताएँ भी समय–समय पर आयोजित की जाती हैं।

- **परिचय पत्र** –महाविद्यालय में प्रवेश के तुरंत पश्चात महाविद्यालय के मुख्य शास्ता से परिचय पत्र प्राप्त करना होगा जिसे प्रतिदिन महाविद्यालय में साथ लाना आनिवार्य होगा।

- **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** –महाविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्राध्यापिकाओं में एक महिला शिकायत निवारण नेतृत्व प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । वर्तमान में डॉ ऋत्विक रंजन सिंह समाजशास्त्र विभाग इस प्रकोष्ठ की प्रभारी है । इसके अतिरिक्त महिला का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम –2013 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर आन्तरिक परिवाद समिति का भी गठन किया गया है ।

- **आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ** –महाविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, छात्रों के निरंतर मार्ग दर्शन, समस्याओं के निवारण, अभिविन्यास एवं प्लेसमेंट में सहायता हेतु एक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है । वर्तमान में डॉ राजकुमार सिंह यादव , भौतिक विज्ञान इस प्रकोष्ठ के प्रभारी है ।

महाविद्यालय परिवार के सदस्यों का विवरण

प्रो0 माया (प्राचार्य)

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

विभाग का नाम	प्राध्यापक का नाम
हिन्दी विभाग	– डॉ0 शिखा तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
समाजशास्त्र विभाग	– डॉ0 सुजीत कुमार सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
	– सुश्री पूनम द्विवेदी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
	– डॉ0 ऋत्विक रंजन सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
शारीरिक शिक्षा विभाग	– श्री बृजेश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	– प्रो0 डॉ अमर कृष्ण यादव (असिस्टेंट प्रोफेसर)
भूगोल विभाग	– डॉ अनीश कुमार मिश्र (असिस्टेंट प्रोफेसर)
अंग्रेजी विभाग	– डॉ0 अमित तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
संस्कृत विभाग	– डॉ अंकिता तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)

विज्ञान संकाय

विभाग का नाम	प्राध्यापक का नाम
भौतिक विज्ञान विभाग	1– डॉ राज कुमार सिंह यादव (असिस्टेंट प्रोफेसर)
रसायन विज्ञान विभाग	1– श्री आशीष जायसवाल (असिस्टेंट प्रोफेसर)
गणित विभाग	1–डॉ इफ्तेखार अहमद अंसारी
	2– डॉ विनोद कुमार भारती(असिस्टेंट प्रोफेसर)

<u>वनस्पति विज्ञान विभाग</u>	1– डॉ माया (प्रोफेसर)
<u>जन्तु विज्ञान विभाग</u>	1– डॉ रुस्तम अली (असिस्टेंट प्रोफेसर)

प्रयोगशाला सहायक

भौतिक विज्ञान	– रिक्त
रसायन विज्ञान विभाग	– रिक्त
वनस्पति विज्ञान विभाग	– श्री शैलेश कपिल
जन्तु विज्ञान विभाग	– रिक्त

प्रयोगशाला परिचर

भौतिक विज्ञान	– रिक्त
रसायन विज्ञान विभाग	– श्री संजय गौड़
वनस्पति विज्ञान विभाग	– श्री देवब्रत मिश्र
जन्तु विज्ञान विभाग	– रिक्त

पुस्तकालय स्टाफ

पुस्तकालयाध्यक्ष	– डॉ0 अमित तिवारी
पुस्तकालय परिचर	– रिक्त

कार्यालय स्टाफ

वरिष्ठ कार्यालय सहायक	– श्री रामसागर सरोज
कनिष्ठ कार्यालय सहायक	– रिक्त
कार्यालय परिचर	– रिक्त

कोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह
सत्र 2025-26
महाविद्यालय परिवार आपका
हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता है।
डॉ० रुस्तम अली
समारोहक
डॉ० राजकुमार सिंह यादव
समन्वयक

वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह